

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री मनोज कुमार शाह (MANOJ KUMAR SHAH), प्रधानाचार्य, G.SEN. SEC. SCHOOL DADUKA, DADUKA, BANSWARA का स्थानान्तरण GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KHIMP SAR, BARMER किया गया था जिसके विरुद्ध श्री मनोज कुमार शाह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4174/2019 मनोज कुमार शाह बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4174/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अभ्यावेदन पेश करने एवं प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस पर आगामी 15 दिवस में विचार करते हुए विभागीय दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के मददेनजर अपना समायोजन राउमावि डडूका/राउमावि गोपीनाथ का गढा/राउमावि मादलदा जिला बांसवाडा में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मददेनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री मनोज कुमार शाह का समायोजन GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GSSS DADUKA (214937), BANSWARA में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 17.01.2020

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/मनोज कुमार शाह/4174/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
✓ संयुक्त निदेशक(कार्मिक)